UPBN060006882022

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०), बदायूँ।

CIVIL SUIT –469/2022

1– कल्लू उम्र 55 वर्ष पुत्र गुलशेर निवासी मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा शहर व जिला बदायूं।

2– दिलशाद हुसैन उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री वहीद उल्ला निवासी मोहल्ला जालन्धरी सराय शहर परगना व जिला बदायूं।

3– फरजान अली खां उम्र 46 वर्ष पुत्र तालिब अली कां निवासी मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा शहर व जिला बदायूं।

–––––वादीगण

बनाम

1– रामसरन
2– अमृतलाल
3– दर्शनलाल
4– नरेश

पुत्रगण प्यारे लाल निवासीगण मो0 जालन्धरी सराय कटरा शहर पर0 व जिला बदायूं।

5– राजकमल
6– बंटी उर्फ विशाल
7– विकास
8– हरवंश लाल
9– शंकर लाल

पुत्रगण गेंदन लाल निवासीगण मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा शहर पर0 व जिला बदायूं।

10– प्रवीन
11– मनमोहन लाल

पुत्रगण श्यामसुन्दर निवासी मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा शहर परगना व जिला बदायूं।

12– हर खासो आम

–––––––प्रतिवादीगण

Digitally signed by RAKHI BHADORIA
Date: 2025.01.18 14:10:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एकपक्षीय

1– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणा एवं स्थाई निषधाज्ञा हेतु दायर किया गया है।

2– संक्षेप में वादीगण का कथन इस प्रकार है कि वादीगण एक किता/मकान स्थित मोहल्ला जालन्धरी सराय शहर व जिला बदायूं में स्थित है। जिसका पूर्ण विवरण व सीमाये वाद पत्र के अन्त में दी गयी हैं जो उक्त वाद में विवादित सम्पत्ति के मालिक व स्वामी वादीगण एंव समस्त मुस्लिम समुदाय है। सम्पत्ति विवादित प्लाट/ खण्डहर इमामबाडा एंव कब्रिस्तान सम्पत्ति है। जो कि भूमि गाटा सं०–1763 की आराजी है। उक्त गाटा सं0–1763 के पेशतर मालिक स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर सईद खां वल्द लाल खां एवं इससे पूर्व उनके पूर्वज थे जिन्होने वजरिये दान नामा सम्पत्ति खसरा सं0–1763 रकबा 0.0250 हे0 लगान 0.65 पैसे स्थित बदायूं अन्दर चुंगी तहसील व जिला बदायूं दान कर दिया और अपने मालिकाना अधिकार सोख्त कर लिये। वादीगण सम्पत्ति विवादित जायदाद की जुमला देख रेख व इन्ताजाम करते चले आ रहे हैं तथा मोहल्ला वालो की आम राय से सम्पत्ति विवादित उपरोक्त की देखभाल जुमला जायदाद की देख रेख व इन्ताजामात तथा वादीगण/मुस्लिम समुदाय का उक्त विवादित भूमि /प्लाट में कब्रिस्तान/ इमामबाडा सदियों पूर्व से हे। जिसका वह एंव उसके समुदाय के लोग अपने रिति रिवाज के अनुसार प्रयोग करते चले आ रहे हैं और उनकी उसमे आस्ता व भावनाएं जुडी है। विवादित सम्पत्ति के दक्षिण दिशा में सरकारी रोड हो जो कि पश्चिम दिशा में विवादित सम्पत्ति के पास से 18 फिट तथा पूरब दिशा में 22 फिट चौडा है। जो विवादित सम्पत्ति के पास है तथा सरकारी रोड के बाद उसकी दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण के मकान हैं और विवादित आराजी पर उनकी नियत बद है और पूर्व में भी बेजा हरकतें उक्त प्रतिवादीगण करते रहे हें। इस सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन बदायूं मूलवाद संख्या–189/2014 कल्लू आदि बनाम अमृतलाल आदि स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। प्रतिवादीगण के राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से हौसले बुलन्द हैं और उनके कई पत्रकार राजनेताओं व अधिकारियों एंव पुलिस प्रशासन से सम्बन्ध हैं और इनके बल पर उक्त विवादित सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण खुले आम घूम रहे हैं कि हमारे पास विवादित भूमि का बैनामा है और वह कथित बैनामा इद्दू खां पुत्र सखावत खां निवासी मोहल्ला जालन्धरी सारय को मालिक दर्शाकर प्रतिवादीगण के दाता गुलजारी लाल पुत्र मोतीराम निवासी मोहल्ला जालन्धरी सराय शहर व जिला बदायूं के नाम वही नं०– 1 जिल्द सं0– 604 के शिफा 387 के नम्बर 1180 दिनांक–23 अक्टूबर 1939 ई0 को प्रतिफल धनराशि अंकन 50/– रु0 देकर अंकित होना दर्शाया हो जो कि एक बनावटी व फर्जी निष्प्रभावी शून्य दस्तावेज है और निम्न प्रकार से निरस्त होने योग्य है।

अ– यह कि कथित बैनामा दिनांकित 23 अक्टूबर 1939 में उक्त आराजी के खसरा (गाटा संख्या) एंव क्षेत्रफल का कोई उल्लेख नही किया गया है जबकि उसका बैनामे में अंकित होना अति आवश्यक था।

ब– यह कि बिक्रेता कथित इद्दू खां ने उक्त आराजी के मालिक होने के उक्त सम्पत्ति का बूर्व को कोई स्पष्ट उल्लेख कथित बैनामे में नही किया है और कब्जा होने के आधार पर मालिक होने का इन्द्राज किया गया है। जिससे उक्त कथित बैनामा बनावटी व फर्जी होना प्रतीत होता है और उसका कोई कानून प्रभाव नही है।

स– यह कि उपरोक्त कथित बैनामे के दर्शाये गये विक्रेता इद्दू खां पुत्र सखावत खां नाम का कोई व्यक्ति मोहल्ला जालन्धरी सराय शहर व जिला बदायूं में बैनामा निष्पादित होने के समय नही रहता था और न हीं उनकी जमीन/ प्लाट कस्वा बदायूं अन्य चुंगी मोहल्ला जालन्धरी सराय शहर व जिला बदायूं में थी न ही उन्हे विवादित कब्रिस्तान/ इमामबाडा सार्वजनिक सम्पत्ति बेंचने का एंव कथित बैनामा निष्पादित करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त था।

द– यह कि कथित बैनामे मे सीमांकन के हिसाब से लम्बाई व चौडाई मेम सीमांकन के हिसाब से लम्बाई एंव क्षेत्रफल का कोई इन्द्राज बैनामा निष्पादित करने के समय तहरी नही किया गया है।

य– यह कि विवादित सम्पत्ति कब्रिस्तान/ इमामबाडा की सार्वजनिक सम्पत्ति हे और उसका उल्लेख कथित बैनामे में स्वयं कथित विक्रेता इद्दू खां व कथित क्रेता गुलजारीलाला प्रतिवादीगण के स्व० दादा ने स्वयं स्वीकार किया है।

र–यह कि उपरोक्त विवादित सम्पत्ति सईद खां पुत्र लाला खां के नाम सरकारी कागजात हे व इससे पूर्व उनके पूर्वज व मालिक व काबिज थे तथा सईद खां व उनका परिवार जिमीदार घराने से था और उन्होने अपने समुदाय की परेशानी को देखते हुए कब्रिस्तान व इमामबाडे के लिए उक्त आराजी दान दे दी थी व उस पर मुस्लिम समुदाय के लोग सदियों से शवों को दफन करने व मोहर्रम के त्यौहार पर ताजिये व मेंहदी रखकर चढावा (न्याज) आदि कराते थे तथा उक्त विवादित सम्पत्तियों में अभी तक पक्की क्ब्रे बनी थी मगर प्रतिवादीगण एंव उनके दादा स्व० गुलाजारी लाल ने चालाकी से फर्जी व झूठा दस्तावेज सम्पत्ति हडप करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार करा लिया है।

ल– यह कि कथित बैनामे में दर्शाये गये गवाह व शानख्तकर्ता भी प्रतिवादीगण व उनके दादा स्व० गुलजारी लाल के साथी व जान पहचान एंव असर के हैं और उन्होने उक्त कथित बैनामा बनावटी व फर्जी साजिशन तैयार कराया है तथा उक्त धोखा धडी से तैयार कराया है जो कि कूटरचित निष्प्रभावी एंव शून्य दस्तावेज है और हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है।

7–यह कि कथित बैनामा के क्रेता गुलजारी लाला पुत्र मोतीराम नि0 मो0 जालन्धरी सराय शहर व जिला बदायूं की मृत्यु हो चुकी है और उनके तीन पुत्र प्यारे लाल गेन्दन लाल व श्यामसुन्दर थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है व अब प्रतिवादीगण 1 ता 11 को वारिस छोडा है व कथित बैनामा क्रेता गुलजारी लाला व उनके लडको की भी मृत्यु पूर्व मे हो चुकी है। इस कारण वाद का प्रभाव उक्त प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण सं0–1 ता 11 काफी असरदार किस्म के ठेकेदार व पत्रकार एंव राजनीतिक असर के लोग हैं और इनका इलाके व मोहल्ले में काफी भय व असर है। इसी कारण से

प्रतिवादीगण ने नियत प्रादिकारी विनियमित क्षेत्र बदायूं/ नगर मजिस्ट्रेट बदायूं पर राजनीतिक दवाव बनाकर उनके सहयोग से विवादित तथ्यों को छिपाकर बना विवादित सम्पत्ति दर्शाकर एक फर्जी व बनावटी मानचित्र पत्रावली सं०–74/11–09–2017 को स्वीकृत कराकर उसकी आड में अन्य निर्माण कार्य कब्रो को तहस नहस कर रहे हैं जिनका उन्हे कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है तथा वादीगण ने उक्त मानचित्र पत्रावली के विरुद्ध अपनी आपत्ति कार्यालय विनियमित क्षेत्र बदायूं में प्रस्तुत कर दी है जो कि विचाराधीन है। विवादित सम्पत्ति एक सार्वजनिक सम्पत्ति की श्रेणी मे आती है और उसके विक्रय करने व कब्रो को नष्ट करने एंव कब्रो को मिट्टी ईट रोड डालकर नष्ट कर उस पर निर्माण करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनन अधिकार नही है व वह जानबूझकर वादीगण एंव मुस्लिम समुदाय की आस्था से खिलवाड कर रहे हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। उपरोक्त प्रकरण दो समुदायों से जुडा विवादित सम्पत्ति का मामला है और उपरोक्त मुक्दमे की वास्तविक्ता एंव विवादित सम्पत्ति की वास्तविकता की जानकारी माननीय न्यायालय के समाने आ सके इसलिये हरखासो आम को प्रतिवादी बनाया जाता है। उपरोक्त विवादित सम्पत्ति में सदियों से कब्रिस्तान व इमामबाडा है और उससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नही है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन एंव लेखपाल व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बदायूं तता नगर पालिका परिषद बदायूं प्रतिवादीगण 1 ता 11 के जेरे असर है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उनके द्वारा किये गये बेजा कृत्य को रोका तो वह आमादा फसाद हो गये जिस कारण प्रतिवादीगण बिना माननीय न्यायालय के अपनी इस बेजा व गैर कानूनी हरकतों नाजायज से बाज नही आवेगं। जिस कारण आवश्यक्ता इस वाद की पैदा हुई। सम्पत्ति विवादित में मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा शहर बदायं को वासियों एवं मुस्लिम समुदाय को लोगो का एक ही हित है इस कारण वादीगण हितबद्ध सबी व्यक्तियों के फायदे के लिये प्रस्तुत प्रतिनिधि वाद न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर योजित कर रहे हैं। वादीगण सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा उन्हे सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति विवादित की सुरक्षा के वास्ते जनप्रतिनिधि के रुप में प्रस्तुत वाद चलाने का अधिकार प्राप्त है। वाद का कारण अन्तिम रुप से दिनांक–25–10–2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर पक्के निर्माण करने की नाकाम कोशिश व कथित बैनामा निरस्त कराने से साफ मना करने के कारण माननीय न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। पक्षकारों का निवास स्थान एंव वाद ग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में स्थित है जिस कारण माननीय न्यायालय को वाद के श्रवण एवं निर्णय का अधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन वगरज अखत्यार समाआत वादग्रस्त सम्पत्ति अनुमानित कीमत अंकन–100000 /– रुपये पर कायम किया जाता है तथा वास्ते अदायगी प्रार्थना– अ उदघोषणा हेतु अधिकतम न्यायशुल्क अंकन 200 /– रुपये अदा किया जाता है तथा प्रार्थना– ब स्थाई निषेधाज्ञा का मूल्यांकन उसके 1/5 भाग यानी अंकन–20000/– पर निर्धिरित अधिकतम न्यायशुल्क प्रार्थना –ब वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अंकन– 500/– रु0 न्यायशुल्क अदा किया जाता है।

वादीगण प्रार्थना है कि –

अ– बजरिये डिग्री कथित बैनामा दिनांक 23 अक्टूबर सन् 1939 इकरारी इद्दू खाँ वहक स्व० गुलजारी लाल वारिसान प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 11 जिसकी रजिस्ट्री वहीं नं०–1 जिल्द 604 के शिफा 387 के नम्बर–1180 उपनिबन्धक सदर बदायूँ द्वारा रजिस्ट्री की गयी है शून्य एवं निष्प्रभावी उद्घोषित किया जावे। इस आशय की सूचना उपनिबन्धक सदर बदायूँ को प्रेषित की जावे कि वो अपने अभिलेखों में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 23–10–1939 के शून्य एवं निष्प्रभावी होने का इन्द्राज कर लें।

ब– बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी एवं उनके कारकुन व मेली व सहयोगियों के लिए सदैव के लिए निषेधित किया जावे कि वो सम्पत्ति विवादित जिसका विवरण वाद पत्र के अन्द में दिया गया है में वादगण के शान्तिपूर्ण कब्जे व देखरेख व रस्मो रिवाज तथा रास्ता सरकारी अवरूद्ध करने से बाज रहें।

विवरण व सीमायें भूमि खसरा नं0–1763 रकवा 0.0250 हे० लगान 0.65 पैसे स्थित बदायूँ अन्दर चुंगी (मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा हरी मस्जिद के सामने) परगना, तहसील व जिला बदायूँ।

दिनांक 09–02–2024 को पत्रावली में प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त मानी गयी। तत्पश्चात इस हेतु निरंतर दिनांक नियत की गयी। प्रतिवादीगण के उपस्थित न होने पर दिनांक 18–03–2024 को प्रतिवादीगण का डब्लू. एस. दाखिल करने का अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली में दिनांक 30–04–2024 एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

वादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में नकल कथित बैनामा–9ग/2, बैनामा हिन्दी अनुवाद–9ग/3 ता 4, इन्तखाब खतौनी 10ग/1, खसरा इन्तखाब 11ग/2 ता 3, दसनामा उर्दू 12ग/1, दसनामा हिन्दी अनुवाद 12ग/2, प्रार्थना पत्र वादीगण कागज संख्या–13ग , प्रार्थना पत्र IGRS कागज संख्या–14ग/1 ता 5 एवं आधार कार्ड वादी कागज सं०– 15 ग दाखिल किया गया है।

न्यायालय द्वारा वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के एकपक्षीय तर्कों का श्रवण किया गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है व कथन किया गया है कि विवादित संपत्ति **भूमि खसरा नं0–1763 रकवा 0.0250 हे० लगान 0.65 पैसे स्थित बदायूँ अन्दर चुंगी (मोहल्ला जालन्धरी सराय कटरा हरी मस्जिद के सामने) परगना, तहसील व जिला बदायूँ,** जिसे वादपत्र में दर्शित किया गया है, पर प्रतिवादी को उसके एजेन्टों द्वारा हमेशा के लिए निषेध किया जाए कि वह विवादित संपत्ति पर वादीगण के कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें और कथित बैनामा दिनांकित 23–10–1939 को शून्य एवं निष्प्रभावी उदघोषित किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य की मात्र फोटोकॉपी दाखिल की गयी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा K.K. Kamani Vs Shri

Harish kumra & Ors. (Civil Revision No–445/2002) यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " Photocopy of a document as such is not admissible in evidence" अतः उपरोक्त को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है, जिससे वादीगण का विवादित संपत्ति पर एकाकी कब्जा दखल साबित हो सके।

Maya Devi vs. Lalta Prasad AIR 2014 S.C. 1356 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वादी के पक्ष में कोई एकपक्षीय निर्णय मात्र इस आधार पर पारित नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है और कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया है। अपने दावे की सफलता के लिए वादी को अपना केस साबित करना ही होगा। वादी को वादपत्र के अभिकथनों को साबित करना होगा। वादी वादपत्र के अभिकथनों को साबित करने में सफल रहा। इस सम्बन्ध में अपना पूर्ण समाधान/संतुष्टि होने पर ही न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में अनुतोष दिया जा सकता है। कोई भी अनुतोष प्रदान करने से पूर्व न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि वादपत्र के कथनों को पूरी तरह साबित किया गया है। मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है और उसके द्वारा प्रतिवादी पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वादी के पक्ष में स्वतः डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादीगण विवादित संपत्ति पर अपना एकाकी स्वामित्व व कब्जा दखल साबित करने में व कथित बैनामा दिनांकित 23–10–1939 को शून्य एवं निष्प्रभावी किये जाने में असफल रहा है। अतः वादीगण का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 18–01–2025

(राखी भदौरिया)
सिविल जज (जू०डि०),
बदायूं।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक 18.01.2025

(राखी भदौरिया)
सिविल जज(जू०डि०),
बदायूं।